परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40 = 120 मेगावॅाट) 29.997 है० के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सांईभाट, पट्टी – लीलम, तहसील – मुनस्यारी, जिला – पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40 = 120 मेगावॅाट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 8.562 है० सिविल एवं सोयम, वन भूमि 21.435 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 29.997 है० वन भूमि का यू० जे० वि० एन० लिमिटेड मुनस्यारी, जिला – पिथौरागढ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पचायत सांईभाट द्वारा दिनांक 16/08/2021 को संम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतू आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम – सांईभाट के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि 29.997 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

सरपंच वन पंचायत
सांई भाट व सांई पोला
पोस्ट सांई पोल
तहसील मुनस्यारी, पिथौरागढ़

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /–

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
विकास खण्ड- मुनस्यारी
जनपद- पिथौरागढ़

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र........
वि०ख०- मुनस्यारी

ह० /–

सरपंच

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40 = 120 मेगावॉट) 29.997 है0 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सांईभाट, पट्टी – लीलम, तहसील – मुनस्यारी, जिला – पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40 = 120 मेगावॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 8.562 है0 सिविल एवं सोयम, वन भूमि 21.435 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 29.997 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड मुनस्यारी, जिला – पिथौरागढ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पचायत सांईभाट द्वारा दिनांक 16/08/2021 को संम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतू आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम – सांईभाट के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि 29.997 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.......
विकास खण्ड- मुनस्यारी
जनपद- पिथौरागढ़

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र...लीलम...
वि0ख0- मुनस्यारी

ग्राम प्रधान

दिनांक 16/08/21

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3x40 = 120 मेगावॉट) 29.997 है0 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 52

कार्यालय उपजिलाधिकारी, मुनस्यारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मुनस्यारी

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3x40 = 120 मेगावॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि 8.562 है0 सिविल एवं सोयम, वन भूमि 21.435 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 29.997 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड मुनस्यारी, जिला – पिथौरागढ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील मुनस्यारी) की दिनांक 27-10-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....भगत सिंह फोनिया.... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री ....भगत सिंह.... उपजिलाधिकारी ....मुनस्यारी.... अध्यक्ष
2. श्री ....ओमप्रकाश.... उप प्रभागीय वनाधिकारी ....मुनस्यारी.... सदस्य
3. श्री ....दलीप सिंह रावत.... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ....मुनस्यारी.... सदस्य/सचिव
4. श्री ....श्रीमती जानकी देवी.... बी0डी0सी0 क्षेत्र ....साई पोल.... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3x40 = 120 मेगावॉट) के नवनिर्माण हेतु 29.997 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्तसम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3x40 = 120 मेगावॉट) के नवनिर्माण हेतु 29.997 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड खण्ड मुनस्यारी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जानकी देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत–सदस्य
विकास खण्ड- मुनस्यारी
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड- मुनस्यारी

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील– मुनस्यारी
जनपद– पिथौरागढ़

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील– मुनस्यारी
जनपद– पिथौरागढ़

तहसीलदार
मुनस्यारी

प्रारूप - 21

परियोजना का नामः – जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता **3x40=120** मेगावाट) के नवनिर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
जिलास्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता **3x40=120** मेगावाट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि 8.562 है0 सिविल एवं सोयम, वन भूमि 21.435 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 29.997 है0 वन भूमि का यूजेविएन लिमिटेड, मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति (जिला पिथौरागढ़) की दिनांक 7.03.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक डा0 आशीष चौहान जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः –

1.	डा0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	अध्यक्ष
2.	डा0 विनय भार्गव	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़	सदस्य
3.	डा0 पंकज कुमार जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4.	श्री जगत सिंह मर्तोलिया	सदस्य जिला पंचायत	सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता **3x40=120** मेगावाट) के नवनिर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्डस्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी अध्यक्ष	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य

जिलाधिकारी पिथौरागढ़
प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़
जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़
जगत मर्तोलिया सदस्य, जिला पंचायत 07–सरमोली वार्ड, मुनस्यारी पिथौरागढ़)

प्रारूप-21.1

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No. Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non –forest purposes., it is certified that 29.997 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, UJVN Limited, Division-Munsyari (name of user agency) for construction of Sirkari Bhyol Rupsiabagar (3x40=120 MW Hydro Electric Project) (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Saibhat village (s) at tehsil Munsyari in Pithoragarh district

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA hectares carried out for the entire 29.997 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of record of all consolations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha / Gram Panchayat (s) sub Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I and II.

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha / Gram Panchayat of forest- dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha / Gram Panchayat (s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the of Saibhat villages (s) is enclosed as annexure- I to annexure- II.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Gram sabha / Gram Panchayat;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha / Gram Panchayat have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप- 21.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Mr/Mrs/Miss Dr. Ashish Chauhan, I.A.S., deputy commissioner Pithoragarh on dated..7.03.2022..at time ..15.00..at Pithoragarh in which application claiming rights in village Saibhat area measuring 29.997 hectares for the construction of construction of Sirkari Bhyol Rupsiabagar (3x40=120 MW Hydro Electric Project) forest land under FRA.2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Munsyari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend and above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Pithoragarh..

Dated:..7.03.2022..

Deputy Commissioner-cum Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़